प्रेस नोट दिनांक- 27.08.2025

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

🔷 **थाना अलीनगर पुलिस टीम व आर0पी0एफ0 के संयुक्त कार्यवाही के दौरान 78.88 लीटर अवैध शराब बरामद कर 08 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) अनन्त चन्द्रशेखर व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम व आरपीएफ टीम द्वारा दिनांक 26.08.2025 को आरपीएफ द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर चेंकिंग के दौरान लोको कालोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास से 10 शराब तस्करों (08 पुरुष व 02 महिला) को गिरफ्तार कर 164 अदद 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 36 आफटर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 96 आफिसर च्वाईस टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 40 ब्लू लाईम टेट्रा पैक देशी शराब प्रत्येक की मात्रा 200 ML, 20 HIGH IMPACT SUPERIOR WHISKY टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML व 28 किंग फिसर बियर अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 500 ML कुल 78.88 लीटर अवैध अंग्रेजी/देशी शराब बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 391/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अवैध शराब को आस-पास के शराब ठेको से खरीद कर बिहार ले जाकर ऊँचे दामों पर बेचते है जिससे हमे अच्छा मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1.अश्वनी कुमार पुत्र मुन्ना प्रसाद निवासी वार्ड नं0 01 गोई थाना चाँद जिला कैमूर(बिहार)

2.रामऔतार यादव पुत्र छांगूर यादव निवासी वार्ड नं0 01 गोई थाना चाँद जिला कैमूर(बिहार)

3.विकास कुमार पुत्र स्व0 बब्लू कुमार गौड़ निवासी सारगपुर थाना भभुआ जिला कैमूर(बिहार) वर्तमान पता वार्ड नं0 01 गोई थाना चाँद जिला कैमूर(बिहार)

4.दीपक कुमार पुत्र अर्जुन साव निवासी वार्ड नं0 02 रणुआ थाना बारुन जिला औरंगाबाद(बिहार)

5.संटू कुमार पुत्र श्यामजी यादव निवासी वार्ड नं0 01 हजारी कर्मा थाना मुफस्सिल जिला औरंगाबाद(बिहार)

6.रोशन कुमार पुत्र गंगा ठाकुर निवासी वार्ड नं0 23 श्रीकृष्णानगर थाना नगर टाऊन जिला बेगुसराय(बिहार)
7.श्रवण कुमार पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी माधवपुर वार्ड नं0 06 थाना पर्वत्ता थाना खगड़िया(बिहार)
8.चन्दन साह पुत्र लल्लन साह निवासी वार्ड नं0 09 मधुरामपुर अकोरही गोला थाना अकोरहीगोला जिला रोहतास(बिहार) अभियुक्तागण
9.विन्ध्याचली देवी पत्नी मोती सेठ निवासी न्यू सिंधौली वार्ड नं0 04 थाना डालमियानगर जिला रोहतास(बिहार)
10.सुनीता कुमारी पत्नी मुकेश राम निवासी जक्की बिगहा वार्ड नं0 19 थाना डेहरी जिला रोहतास(बिहार) बताये।

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1.मु.अ.सं.- 391/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक - 26.08.2025

समय -15.40 बजे

स्थान – लोको कालोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

164 अदद 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 36 आफटर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 96 आफिसर च्वाईस टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML, 40 ब्लू लाईम टेट्रा पैक देशी शराब प्रत्येक की मात्रा 200 ML, 20 HIGH IMPACT SUPERIOR WHISKY टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML व 28 किंग फिसर बियर अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 500 ML कुल 78.88 लीटर अवैध अंग्रेजी/देशी शराब बरामद

बरामद शराब की अनुमानित कीमत (बिहार प्रान्त के अनुसार) करीब 100000/- रूपये आंकी गयी है।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अंजू यादव , थाना अलीनगर जिला चन्दौली

3.का0 प्रवेश सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

अरपीएफ टीम-

1.उ0नि0श्री अश्वनी कुमार RPF/DDU

2.आरक्षी देवेंद्र कुमार यादव RPF/DDU

3.महिला प्रधान आरक्षी रशीदा बानो CPDS/DDU
4.आरक्षी अशोक कुमार चौरसिया CPDS/DDU
5.आरक्षी धर्मेंद्र कुमार CPDS/DDU

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

🚨 **25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी-पशु तस्कर गिरफ्तार**

घटना का संक्षिप्त विवारणः-

दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्त अशोक कुमार यादव पुत्र रामसागर यादव निवासी पट्टी हुसैनपुर थाना बलुआ चन्दौली के महिन्द्रा पीकप वाहन सं UP67AT 9879 में चार राशि गोवंश क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार राज्य ले जाते समय ग्राम फुल्ली व पीथापुर के बीच नहर पुलिया के पास से बरामद किया गया था तथा अभियुक्त अशोक कुमार यादव उपरोक्त के गैंग का सदस्य आकाश कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी ग्राम पलिया चकई थाना बलुआ जनपद चन्दौली गिरफ्तार हुआ था।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, व अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आईपीएस) के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष सकलडीहा अतुल कुमार के नेतृत्व में वांछित/पुरस्कार घोषित गौतस्कर अपराधी के विरुद्ध चलाये गये गिरफ्तारी अभियान में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-137/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधी गौतस्कर अशोक कुमार यादव पुत्र रामसागर यादव निवासी पट्टी हुसैनपुर थाना बलुआ चन्दौली जो आर्थिक, भौतिक एंव दुनियाबी लाभ हेतु अपनी पहचान छुपाकर छोरी छिपे अपने पिकप वाहन से गोवंशीय पशुओ की तस्करी करता है एंव पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार चल रहा था को दिनांक 26.08.2025 समय 17.00 बजे भोजापुर रेलवे क्रासिंग बहद ग्राम भोजापुर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

अशोक कुमार यादव पुत्र रामसागर यादव निवासी पट्टी हुसैनपुर थाना बलुआ चन्दौली उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0-137/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0-160/2018 धारा 3(1)(घ), 3(1)(द) SC/ST Act व 323/504 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0-137/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 BNS थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 संतोष कुमार तिवारी कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 अमित कुमार यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.का0 प्रश्विन कुमार दूबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

5.का0 संदीप यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

6.का0 रोहित गोंड कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

🚔 चन्दौली पुलिस- ऑपरेशन कन्विक्शन 🚔

🛑 **अभियोजन से अपराध पर कसी नकेल- जनपदीय पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को दिलाई गई 3 वर्ष की सजा।**

🔹 **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

🔷 **पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में 2019 में पंजीकृत पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दिलायी गयी सजा**

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा(एडीजे/स्पे0 पाक्सो जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

जनपद चन्दौली थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- दिनांक 26.08.19 को धारा-354घ,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)दध एससी/एसटी के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नरेन्द्र चौहान पुत्र मुन्नीलाल चौहान निवासी खण्डवारी थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 182/19 धारा- 354घ,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)दध एससी/एसटी थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे जनपद चन्दौली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु चलाए ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में चन्दौली पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व अभियोजक श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 बृजेश सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक–27.08.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा(एडीजे/स्पे0 पाक्सो जनपद चन्दौली) द्वारा द्वारा दोषी अभियुक्त 1. नरेन्द्र चौहान पुत्र मुन्नीलाल चौहान निवासी खण्डवारी थाना बलुआ जनपद चन्दौली को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 15000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

चन्दौली पुलिस- ऑपरेशन कन्विक्शन

अभियोजन से अपराध पर कसी नकेल- जनपदीय गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को दिलाई गई 4 वर्ष की सजा।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1- दिनांक 13.09.19 को धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी चांदपुर पोल्ट्री फार्म मंडुवाडीह जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 393/2018 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे जनपद चन्दौली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु चलाए ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में चन्दौली पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व अभियोजक श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (ADGC), व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी घनश्याम पाण्डेय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक– 27.08.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1. अजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी चांदपुर पोल्ट्री फार्म मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।